शम्भू सिंह

विरुद्ध

राजस्थान राज्य

(दांडिक अपील संख्या 1134/2008)

22 जुलाई 2008

[डॉ. अरिजित पसायत एवं डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: धाराएं 304 (भाग I), 447, 307 एवं 324- मृत्यु और चोटें कारित- अभियुक्त और परिवादी के मध्य भूमि विवाद- झगड़े और तीखी नोंकझोंक के दौरान घटना घटित हुई– अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा धारा 302, 447, 307 एवं 324 के अधीन दोषसिद्धि- अपील में अभिनिर्धारित: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना अचानक झगड़े के दौरान घटित हुई, धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को धारा 304 (भाग I) के अधीन बदल दिया गया- अन्य प्रावधानों के अधीन दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं- आजीवन कारावास के दंड को 10 वर्ष के कारावास के दंड में बदल दिया गया।

धारा 300 अपवाद 4- प्रयोज्यता- चर्चा की गई।

धारा 300- अपवाद 1 और अपवाद 4- के मध्य अंतर- चर्चा की गई।

शब्द और वाक्यांश- 'अचानक झगड़ा'- का अर्थ- धारा 300 भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में।

अपीलार्थी-अभियुक्त का एक व्यक्ति की मृत्यु और प्रत्यक्षदर्शियों को उपहतियां कारित करने के लिए विचारण किया गया था। अभियोजन मामले के अनुसार, जब मृतक अपने खेत की जुताई कर रहा था और अन्य चक्षुदर्शी साक्षी, मृतक के भाई, पिता और माता खेत में काम कर रहे थे, अपीलार्थी-अभियुक्त अपने माता-पिता के साथ

आया और उनके खेत जोतने पर आपत्ति जताई। झगड़ा शुरू हो गया और तीखी नोकझोंक होने लगी। तब अपीलार्थी ने मृतक को चाकू मार दिया। उसने प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के साथ भी मारपीट कर उन्हें उपहतियां कारित की। विचारण न्यायालय ने आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त को धारा 302, 447, 307 एवं 324 भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्ध घोषित किया। धारा 302 के अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील में अपीलार्थी ने तर्क दिया कि धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन उसकी दोषसिद्धि उचित नहीं थी क्योंकि घटना अचानक झगड़े के दौरान घटित हुई थी।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि,

1. प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभुमि को दृष्टिगत रखते हुए, धारा 304 भाग । भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्धि उचित होगी। 10 वर्ष के कारावास का दंड न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु पर्याप्त होगा। अन्य अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि और अधिरोपित दंड हस्तक्षेप किए जाने हेतु किसी दोषिता से ग्रसित नहीं हैं।

2.1 भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को प्रभाव में लाने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि कार्य बिना किसी पूर्वचिन्तन के, अचानक झगड़ाजनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में, अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना किया गया था और क्रूर व असामान्य तरीके से नहीं किया गया था। अपवाद 4 को प्रभावी करने के लिए, यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि झगड़ा अचानक हुआ था और कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शित करना

होगा कि कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर अथवा असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ "बेवजह फायदा" है।

2.2 चौथा अपवाद अभियोजन के एक ऐसे मामले से संबंध रखता है जो प्रथम अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद समान सिद्धांत पर आधारित है, दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। किन्तु, जहां अपवाद 1 के मामले में आत्म-संयम का पूर्ण अभाव है, वहीं अपवाद 4 के मामले में, केवल आवेश की वह तीव्रता है जो पुरुषों के संयमित आचरण को ढक देती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की तरह ही अपवाद 4 में भी प्रकोपन है; किन्तु जो उपहति कारित की गई है वह उस प्रकोपन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इस बात के होते हुए भी, कि कोई प्रहार कर दिया गया होगा, अथवा विवाद के मूल में कोई प्रकोपन दिया गया होगा अथवा किसी भी तरीके से झगड़ा उत्पन्न हुआ होगा, उभय पक्ष का उसके पश्चात का आचरण उन्हें अपराध हेतु समान रूप से उत्तरदायी ठहराता है।

2.3 "अचानक लड़ाई" का तात्पर्य परस्पर प्रकोपन एवं दोनों तरफ प्रहार से है। ऐसी दशा में कारित मानव-वध हेतु स्पष्ट रूप से एकतरफा प्रकोपन का पता नहीं लगाया जा सकता है, ना ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक पक्ष पर अधिरोपित किया जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो जो अपवाद अधिक उपयुक्त रूप से प्रभावी होता वह अपवाद 1 होता। लड़ने के लिए कोई पूर्व सोच-विचार या संकल्प नहीं है। उस स्थिति में परस्पर प्रकोपन एवं आवेग होता है और प्रत्येक लड़ाके के सम्बन्ध में दोषिता के अनुपात को बांटना कठिन होता है। आवेश की तीव्रता हेतु आवश्यक है कि आवेश को शांत करने का समय न मिले और इस मामले में, पक्षकारों ने प्रारंभ में हुई मौखिक तकरार के कारण स्वयं ने आवेश में कार्य किया है। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों

के बीच की भिड़न्त है, चाहे वह हथियारों के साथ हों या उनके बिना। अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम प्रतिपादित करना संभव नहीं है।

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: दांडिक अपील संख्या 1134/2008।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी.बी. दांडिक अपील संख्या 531 सन् 2003 में पारित निर्णय व अंतिम आदेश दिनांक 3.1.2007 के विरुद्ध

अपीलार्थी की ओर से शिव कुमार सूरी।

प्रत्यर्थी की ओर से अंसार अहमद चौधरी

इस न्यायालय का निर्णय डॉ अरिजित पसायत **जे.** द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता को चुनौती दी है। विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश क्रमांक 2, उदयपुर ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.द.स.') की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी पाया और उसे आजीवन कठोर कारावास एवं अदायगी में व्यतिक्रम की शर्त सहित अर्थदंड से दंडित किया गया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 15 दिवस के कठोर कारावास से दंडित किया गया। इसके अतिरिक्त, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 100/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दंडनीय अपराध हेतु उसे एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। अपील में, आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के निर्णय व दंडादेश की पुष्टि की।

3. विचारण के दौरान प्रकट अभियोजन मामला इस प्रकार है:

दिनांक 3.8.1999 को वजे सिंह (पी.ड.-1) ने पुलिस स्टेशन पहाड़ा में अन्य तथ्यों के साथ-साथ यह वर्णित करते हुए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, कि सुबह लगभग 9:00 बजे उसका भाई जवान सिंह (जिस बाद में 'मृतक' के रूप में संबोधित किया जा रहा है) खेत में जुताई कर रहा था। वह अपने पिता गुलाब सिंह और बड़े भाई राम सिंह के साथ खेत में काम कर रहा था। उस समय, उसका पड़ौसी अपीलार्थी शंभू सिंह, उसके पिता सोम सिंह और माता श्रीमती जीवी उन्हें गाली देते हुए वहां पहुंचे। अपीलार्थी शंभू सिंह हाथ में चाकू लिये हुए था। सोम सिंह और श्रीमती जीवी लाठियाँ लिये हुए थे। उन्होंने उन्हें चुनौती दी और आपत्ति कि वे उनके कब्जे वाले खेत को कैसे जोत रहे हैं। इस पर झगड़ा और तीखी नोकझोंक होने लगी। अपीलार्थी शंभू सिंह ने जवान सिंह के सीने पर चाकू घोंप दिया। उसने चाकू से एक अन्य चोट पेट पर कारित की। उसके पिता के हस्तक्षेप करने पर अपीलार्थी शंभू सिंह ने चाकू से उपहति कारित की। अपीलार्थी शंभुसिंह ने उसकी माता श्रीमती शांता व बड़े भाई रामसिंह को एवं उसे भी उपहतियां कारित की। जवान सिंह ने उपहतियों के फलस्वरूप मौके पर ही दम तोड़ दिया। रिपोर्ट में अंकित किया गया कि उभय पक्ष के मध्य भूमि विवाद था, जिसके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।

इस सूचना पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया। शव का पोस्टमार्टम डॉ. महेंद्र (पी.ड.-17) द्वारा मौके पर ही एक्स.पी-42 के माध्यम से किया गया। उसने शरीर पर निम्नलिखित उपहतियां देखी:

1 चाकू घोंपकर किया गया एक घाव -2.0 सेमी x 1.0 सेमी x वक्ष गुहा तक छिद्रित, बाएं निपल स्थान के नीचे छठे इंटरकोस्टल स्थान में तिरछा।

जांच पर - 1.55 सेमी x 1.0 सेमी x 2 सेमी हृदय के बाएँ

निलय में गहरा घाव। रक्त से भरी गुहा।

2 चाकू घोंपकर किया गया एक घाव - 1.5 सेमी x 1.0 सेमी x वक्षीय गुहा चोट संख्या 1 के पार्श्व में 5 सेमी गहरा तिरछा।

घाव की जांच करने पर - बाएं फेफड़े पर 1.0 सेमी x 2 सेमी गहरा फेफड़े के ऊतक का एक घाव है। वक्षस्थल रक्त से भरा हुआ।

3 चाकू घोंपकर किया गया एक घाव - 2.0 सेमी x 1.0 सेमी x पेट की गुहा में गहरा। घाव की जांच करने पर- पेट के किसी भी अंदरूनी भाग पर कोई चोट नहीं। इस घाव से आंतों के लूप उभरे हुए।

4 खरोंच - 2.5 सेमी x 1.0 सेमी दाहिने पैर के मध्य भाग पर ऊपरी 1/3 भाग पर।

मृत्यु का कारण छाती और पेट पर चाकू से वार के बाद गंभीर रक्तस्राव के कारण सदमा था। घायल व्यक्ति अर्थात् पी.ड.-1 वजे सिंह, पी.ड.-10 गुलाब सिंह और पी.ड.-3 श्रीमती शांता को चिकित्सालय भेजा गया। उनकी चोटों उसके शरीर पर निम्न चोटें पाईः

बाएं ग्लूटस पर 4 x 2 x 1/2 सेमी का कटा हुआ घाव।

उसने एक्स.पी.-11 के माध्यम से पी.ड.-10 गुलाबसिंह की चोटों की भी जांच की और निम्नलिखित चोटों पाईः

बाएं अंतःस्तन पर रक्तस्राव के साथ चाकू का अनुप्रस्थ घाव क्षेत्र 4 x 1 x फुफफुस गुहा तक गहरा।

उसने एक्स.पी.-13 के माध्यम से पी.ड.13 श्रीमती शांता की चोटों का भी निरीक्षण किया एवं निम्न चोटें पाईः

दाहिनी भुजा एम/3 पर 1½ x 1/2 x ½ सेमी चाकू से कटा हुआ घाव।

सामान्य अनुसंधान के पश्चात् पुलिस ने अपीलार्थी शंभू सिंह, उसके पिता सोम सिंह और माता श्रीमती जीवी के विरूद्ध धारा 302, 307, 326, 324, 447/34 भारतीय दंड संहिता के अपराध हेतु आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध विरचित आरोपों के सम्बन्ध में स्वयं को निर्दोष बताते हुए अंवीक्षा चाही।

विचारण न्यायालय ने पी.ड. 1, 2, 3 एवं 10 की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए उक्त साक्षीगण की साक्ष्य को विश्वसनीय और ठोस पाया तथा यह पाया कि आहत साक्षीगण की साक्ष्य किसी दोष से ग्रसित नहीं है। तदनुसार, विचारण न्यायालय ने पूर्व में वर्णितानुसार दोषसिद्धि का निर्णय व दंडादेश पारित किया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक आधार यह लिया गया कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य की संपुष्टि नहीं होती है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि किसी भी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध गठित नहीं होता है क्योंकि घटना अचानक झगड़े के दौरान घटित हुई थी। उच्च न्यायालय ने कोई सार नहीं पाते हुए अपील खारिज कर दी।

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि घटना अचानक झगड़े के दौरान घटित हुई थी और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 प्रभावी नहीं होती है।

5. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया।

6. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को प्रभाव में लाने के लिए, यह स्थापित करना होगा कि कार्य बिना किसी पूर्वचिन्तन के, अचानक झगड़ाजनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना

किया गया था और क्रूर व असामान्य तरीके से नहीं किया गया था।

7. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किए गए कृत्यों को शामिल करता है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक ऐसे मामले से संबंध रखता है जो प्रथम अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद समान सिद्धांत पर आधारित है, दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। किन्तु, जहां अपवाद 1 के मामले में आत्म-संयम का पूर्ण अभाव है, वहीं अपवाद 4 के मामले में, केवल आवेश की वह तीव्रता है जो पुरुषों के संयमित आचरण को ढक देती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की तरह ही अपवाद 4 में भी प्रकोपन है; किन्तु जो उपहति कारित की गई है वह उस प्रकोपन का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इस बात के होते हुए भी, कि कोई प्रहार कर दिया गया होगा, अथवा विवाद के मूल में कोई प्रकोपन दिया गया होगा अथवा किसी भी तरीके से झगड़ा उत्पन्न हुआ होगा, उभय पक्ष का उसके पश्चात का आचरण उन्हें अपराध हेतु समान रूप से उत्तरदायी ठहराता है। "अचानक लड़ाई" का तात्पर्य परस्पर प्रकोपन एवं दोनों तरफ प्रहार से है। ऐसी दशा में कारित मानव-वध हेतु स्पष्ट रूप से एकतरफा प्रकोपन का पता नहीं लगाया जा सकता है, ना ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक पक्ष पर अधिरोपित किया जा सकता है। यदि ऐसा होता, तो जो अपवाद अधिक उपयुक्त रूप से प्रभावी होता वह अपवाद 1 होता। लड़ने के लिए कोई पूर्व सोच-विचार या संकल्प नहीं होता है। एक लड़ाई अचानक घटित होती है जिस हेतु दोनों पक्ष कम या ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। यह हो सकता है कि उनमें से एक पक्ष ने इसको शुरू किया हो, किन्तु यदि दुसरा पक्ष स्वयं के आचरण से इसे और नहीं भड़काता तो यह इतना गंभीर रूप धारण नहीं करता, जितना गंभीर रूप उसने धारण किया। उस स्थिति में परस्पर प्रकोपन एवं आवेग होता है और प्रत्येक लड़ाके के सम्बन्ध में दोषिता के अनुपात काे बांटना कठिन होता है।

अपवाद 4 की सहायता ली जा सकती है, यदि मृत्यु (ए) पूर्वचिन्तन के बिना; (बी) अचानक लड़ाई में; (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना हुई है; और (डी) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ ही हुई हो। एक मामले को अपवाद 4 के दायरे में लाने के लिए उसमें उल्लिखित समस्त तत्व उस मामले में विद्यमान होने चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 में उल्लिखित "लड़ाई" शब्द को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। आवेश की तीव्रता हेतु आवश्यक है कि आवेश को शांत करने का समय न मिले और इस मामले में, पक्षकारों ने प्रारंभ में हुई मौखिक तकरार के कारण स्वयं ने आवेश में कार्य किया है। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की भिड़न्त है, चाहे वह हथियारों के साथ हों या उनके बिना। अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम प्रतिपादित करना संभव नहीं है। यह तथ्य का प्रश्न है और झगड़ा अचानक है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के साबित तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। अपवाद 4 को प्रभावी करने के लिए, यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि झगड़ा अचानक हुआ था और कोई पूर्वचिन्तन नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शित करना होगा कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर अथवा असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ "बेजा फायदा" है।

8. साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की तथ्यात्मक पृष्ठभुमि के उपर्युक्त विवेचनोपरांत अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि धारा 304 भाग । भारतीय दंड संहिता के अधीन दोषसिद्धि उचित होगी। 10 वर्ष के कारावास का दंड न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। अन्य अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि और अधिरोपित दंड हस्तक्षेप किए जाने हेतु किसी दोषिता से ग्रसित नहीं हैं। दंडादेश साथ-साथ भुगते जायेंगे।

9. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

के.के.टी.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी ललित डाबी, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।